


न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

बनाम ... डिवाइट
 शत्रुघ्न
 विषय ... प्र.पत्र अस्थाई निषेध नं. ... 8 ... 2022

तारीख दृश्य	दुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
12.12.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से विधिक विभाजन हेतु वादपत्र में अन्तिम डिकी जारी की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) 12/12/22 सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>

